राजस्थान सरकार
निदेशालय महिला अधिकारिता
जे–7, झालाना संस्थानिक क्षेत्र,जयपुर
email-gendercell.weraj@gmail.com फोन.नं.–01415196321

91344

क्रमांक:– No.24(1)(9)/गरिमा योजना/WED/जेण्डर सैल/2015-16 जयपुर दिनांक:10/7/18

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा 24 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं के प्रति हिंसा व शोषण के विरूद्ध अनुकरणीय कार्य करने वाली बालिकाओं, संस्थाओं एवं मानदेय कर्मियों, अन्य व्यक्तियों (महिला व पुरूष) को पुरस्कृत किया जावेगा।

पुरस्कार हेतु कार्यक्षेत्र व पात्रता –

(i) व्यक्तिगत स्तर पर –

1. 18 वर्ष से कम आयु की बालिका जिसने स्वयं अथवा अन्य किसी बालिका/महिला के साथ हिंसा/शोषण को रोका है,
2. मानदेयकर्मी
3. अन्य व्यक्ति– महिला अथवा पुरुष

(ii) संस्थागत स्तर –

1. स्वयंसेवी संगठन/ट्रस्ट
2. कॉरपोरेट घराने
3. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
4. सिविल सोसायटी ऑर्गनाइज़ेशन

आवेदन पत्र :–

इच्छुक व्यक्तियों/संस्थाओं के आवदेन पत्र निदेशालय महिला अधिकारिता के अधीन जिला स्तर पर कार्यरत सहायक निदेशक के कार्यालय में व्यक्तिशः, डाक द्वारा या ई–मेल के माध्यम से आवश्यक दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों/फोटोग्राफ्स सहित 31 अक्टूबर, 2018 तक प्रस्तुत किये जा सकेंगें। आवेदक को विभाग द्वारा प्राप्ति रसीद दी जायेगी। निर्धारित तिथि उपरान्त प्राप्त प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा।

आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाईट www.wcd. rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

परियोजना समन्वयक
(जेण्डर प्रकोष्ठ)
महिला अधिकारिता
राज. जयपुर